UPUN010022292026

न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उन्नाव।

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र सं0 –1023/2026

प्रदीप कुमार सिंह पुत्र रामऔतार निवासी ग्राम उदशाह थाना आसीवन जिला उन्नाव।
....अभियुक्त।

बनाम

राज्य उत्तर प्रदेश द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ0) उन्नाव। ..... विपक्षी।

दिनांकः–20.04.2026

अभियुक्त प्रदीप कुमार सिंह ने, यह अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र मु0अ0सं0– 294/2024, धारा–468,467,506,352,420,504,419,471 भा0दं0सं0 थाना आसीवन जिला उन्नाव, में मय शपथपत्र प्रस्तुत किया है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक है कि वादी मुकदमा शिवचरन कुशवाहा ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उन्नाव के न्यायालय ने प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 156(3) दं0प्र0सं0 अभियुक्तगण राम नारायण, प्रदीप कुमार सिंह, विकास कुमार, अनूप, रजनीश, रामनरेश, राजेश, जगदीश के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाने हेतु इस आशय से दिया कि प्रार्थी शिवचरण कुशवाहा पुत्र छोटेलाल निवासी ग्राम उदशाह थाना आसीवन तहसील सफीपुर जिला उन्नाव का मूल निवासी है और प्रार्थी भूमि नं0 222 मि0 रकबा 0.253हे0 व भूमि नं0 635 मि0 रकबा 0.0760हे0 स्थित ग्राम उदशाह परगना व तहसील सफीपुर जिला उन्नाव का निवासी है। प्रार्थी के गांव के ही प्रधान राम नारायण पुत्र शिवदुलारे व उनके सहयोगी प्रदीप कुमार सिंह पुत्र रामऔतार सिंह ने षड्यंत्र कर रणनीति तय करके क्षेत्रीय लेखपाल से मिलकर प्रधान ने प्रार्थी को मृतक दिखाकर लेटर पैड जारी किया, जिसके आधार पर लेखपाल राजेश कुमार पिता व पता नामालूम ने प्रार्थी को मृत घोषित कर उसके स्थान पर विकास पुत्र गयादीन निवासी पल्टाखेड़ा मजरा उदशाह परगना व तहसील सफीपुर थाना आसीवन जिला उन्नाव का नाम खतौनी पर दिनांक 05.01.2024 को अंकित कर दिया। विकास कुमार न तो प्रार्थी का पुत्र है और न ही परिवार का है और न ही गांव का है। विकास कुमार का नाम खतौनी पर दर्ज होते ही दिनांक–23.02.2024 को रणनीति के अनुसार अनूप पुत्र दुर्योधन निवासी जमलापुर पोस्ट उदशाह परगना आसीवन रसूलाबाद तहसील हसनगंज जिला उन्नाव के नाम बैनामा कर दिया जो सब रजिस्ट्रार सफीपुर बही सं0 1 जिल्द सं0 5761 के पृष्ठ सं0 317 से 334 तक क्रमांक 799 पर अंकित हैं जिसमें विक्रेता विकास कुमार पुत्र गयादीन निवासी पल्टाखेड़ा मजरा उदशाह परगना व तहसील सफीपुर थाना आसीवन जिला उन्नाव हाल पता–भदसेन पोस्ट अटवा तहसील सण्डीला जिला हरदोई अंकित है। प्रार्थी जानकारी में उपरोक्त व्यक्ति का नाम पता फर्जी दर्शित किया गया है तथा क्रेता अनूप पुत्र दुर्योधन व गवाह रजनीश पुत्र रघुराज व रामनरेश पुत्र विष्णुदयाल निवासीगण जमलापुर पोस्ट उदशाह थाना आसीवन जिला उन्नाव है। उपरोक्त कूटरचित बैनामा में प्रधान व उनके सहयोगी पिन्टू व क्षेत्रीय लेखपाल, विक्रेता विकास कुमार क्रेता अनूप व गवाह रजनीश, रामनरेश व कानूनगो सभी लोग संलिप्त है और इससे प्राप्त धन का आपस में बंदर बांट कर कूटरचित दस्तावेज तैयार कर बैनामा कर धन प्राप्त किया गया है। उपरोक्त घटना की जानकारी होते ही प्रार्थी के कई उच्च अधिकारियों को

Digitally signed by ANIL KUMAR VERMA
Date: 2026.04.20 17:26:58 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court, Unnao.

प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन अधिकारियों द्वारा मात्र आश्वासन दिया गया, कोई विधिक कार्यवाही नहीं की गयी तथा प्रार्थी ने ग्राम प्रधान व उनके सहयोगी पिन्टू से बात की गयी तो उपरोक्त लोग प्रार्थी के गाली गलौज कर मारपीट पर आमादा हो गये, जान से मारने की धमकी देने लगे। प्रार्थी गरीब व्यक्ति है और उपरोक्त लोगों के डर से भयभीत है। प्रार्थी के साथ यदि भविष्य में किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना घटित है तो उपरोक्त लोग ही जिम्मेदार माने जाये। प्रार्थी ने दिनांक 07.03.2024 को उपजिला मजिस्ट्रेट सफीपुर उन्नाव को उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र दिया तथा दिनांक 11.03.2024 को पुलिस अधीक्षक महोदय उन्नाव के समक्ष उपस्थित होकर व पुलिस महानिरीक्षक महोदय लखनऊ व पुलिस उपमहानिरीक्षक महोदय लखनऊ व माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को जरिये डाक प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। अंतिम बार दिनांक 15.04.2024 को पुलिस अधीक्षक महोदय उन्नाव को जरिये डाक प्रार्थना पत्र दिया, उस पर भी आज तक कोई कार्यवाही नही हुई।

अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र में कथन किया गया कि वह निर्दोष है और उसे महज रंजिशन झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी का उपरोक्त मुदकमे में कोई रोल नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में मात्र प्रधान सहयोगी कहा गया है। कथित लेटर पैड ग्राम प्रधान द्वारा जारी किया गया है जिसमें न तो प्रार्थी गवाह है और न ही उसके हस्ताक्षर है। कथित लेटर पैड प्रधान ने अपने हस्ताक्षर व मोहर से जारी किया है, जिसकी जिम्मेदारी प्रधान की है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में जिस बैनामा का उल्लेख है उसमें भी प्रार्थी का कोई रोल नही है और न तो वह हासिये का गवाह है। प्रार्थी के द्वारा कोई भी जालसाजी या कूटरचना नहीं की गयी है। जमीन का नामान्तरण लेखपाल की आख्या के अनुसार मात्र लिपिकीय त्रुटि है, जिसका पुनः नामान्तरण वादी शिवचरण कुशवाहा पुत्र छोटेलाल निवासी उदशाह के नाम हो गया है। प्रार्थी जमानत पर छूटने के बाद विवेचना में पूर्ण सहयोग करेगा तथा गवाहान सबूत पर कोई बेजा असर नही डालेगा। प्रार्थी का यह प्रथम प्रार्थना पत्र जमानत है इससे पूर्व प्रार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय में न तो कोई प्रार्थना पत्र जमानत दिया है और न ही विचाराधीन है। अतः श्रीमान् जी से प्रार्थना है कि प्रार्थी की अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए प्रार्थी को ता फैसला जमानत पर रिहा करने की कृपा करें।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतः अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के तर्को को सुना तथा उपलब्ध प्रपत्रों व अन्य सुसंगत प्रपत्रों का अवलोकन किया।

अभियुक्त की ओर से तर्क दिया गया कि उसका उपरोक्त मुदकमें में कोई रोल नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में मात्र प्रधान सहयोगी कहा गया है। कथित लेटर पैड ग्राम प्रधान द्वारा जारी किया गया है जिसमें वह न तो गवाह है और न ही उसके हस्ताक्षर है। कथित लेटर पैड प्रधान ने अपने हस्ताक्षर व मोहर से जारी किया है, जिसकी जिम्मेदारी प्रधान की है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में जिस बैनामा का उल्लेख है उसमें भी प्रार्थी का कोई रोल नही है और न तो वह हासिये का गवाह है। प्रार्थी के द्वारा कोई भी जालसाजी या कूटरचना नहीं की गयी है। जमीन का नामान्तरण लेखपाल की आख्या के अनुसार मात्र लिपिकीय त्रुटि है, जिसका पुनः नामान्तरण वादी शिवचरण कुशवाहा पुत्र छोटेलाल निवासी उदशाह के नाम हो गया है। अभियुक्त को कोई लाभ होना वाला नहीं है। अतः अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाये।

अभियोजन का तर्क है कि अभियुक्त प्रदीप कुमार सिंह, प्रधान सहअभियुक्त राम नारायण का सहयोगी है और प्रधान राम नारायण व अभियुक्त प्रदीप कुमार ने रणनीति तय करके क्षेत्रीय लेखपाल से मिलकर प्रधान ने वादी को मृतक दिखाकर लेटर पैड जारी किया, जिसके आधार पर लेखपाल राजेश कुमार ने वादी को मृत घोषित कर उसके स्थान पर सहअभियुक्त विकास कुमार का नाम खतौनी पर दिनांक 05.01.2024 को अंकित कर दिया और विकास कुमार का नाम खतौनी पर दर्ज होने पर उसने दिनांक–23.02.2024 अनूप के नाम बैनामा कर दिया। मामला गम्भीर प्रकृति का है। पुलिस द्वारा अभियुक्त को बिना कारण गिरफ्तार किये जाने की सम्भावना नहीं है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

मामले के तथ्य एवं परिस्थितियो में अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर छोड़े जाने का संतोषजनक आधार नहीं है तथा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त प्रदीप कुमार सिंह द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 294/2024, धारा–468, 467, 506,352,420,504,419,471 भा0दं0सं0 थाना आसीवन ज़िला उन्नाव में प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1023/2026 निरस्त किया जाता है–

<u>दिनांकः–20.04.2026</u>

(अनिल कुमार वर्मा–प्रथम)
[J.O. Code-UP 6552]
सत्र न्यायाधीश, उन्नाव।